

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत
पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

मु. नं. 20 सन 2019

हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज

तारीख हुक्म

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

08.01.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व कोलायत से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का दासौड़ी ने खाता दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भू-अभिलेख निरीक्षक खीन्दासर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दासौड़ी तहसील कोलायत व जिला वीकानेर की जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में खाता संख्या 198 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	दासौड़ी	198	सहदेवदान पुत्र प्रहलाददान 4.73 है. व वसुदान पुत्र मूलदान 1.0616 है. सवाईदान पुत्र मूलदान 1.0616 है. जाति चारण सा. देह, अर्जुनराम पुत्र देवाराम जाति जाट 7.88 है., घनश्यामदान पुत्र रामचंद्रदान 0.7111 है. बाकी मान्दा बदस्तूर जमाबन्दी	सहदेवदान पुत्र प्रहलाददान हि. 473/3475 व वसुदान पुत्र मूलदान हि. 637/20850 सवाईदान पुत्र मूलदान हि. 637/31275 जाति चारण सा. देह, अर्जुनराम पुत्र देवाराम जाति जाट हि. 788/3475, घनश्यामदान पुत्र रामचंद्रदान हि. 640/31275 बाकी मान्दा बदस्तूर जमाबन्दी

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्व जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

28/01/19
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत